न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 15 / 2023

प्रार्थी :—

1. कनिष्क पुत्र पुनमचन्द चौधरी जाति सीरवी निवासी सवराड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान जरिये कुदरती वली माता कंचन पुत्री गुणाराम जाति चौधरी निवासी सवराड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. पुखाराम पुत्र रामाराम
2. पुनमचन्द पुत्र पुखाराम
3. शान्ति पुत्री पुखाराम
4. लीला पुत्री पुखाराम
5. लता पुत्री पुखाराम जातिगण सीरवी निवासीगण भैसाणा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासीगण हाल निवासी नम्बर 2—047 सुराराम रोड नियर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कुतबुलापुर आईडीए, जेडी मेटल के.वी. रंगारेडी—500055 (आंध्रप्रदेश) C/O KDM 916 Gold Available Shiv Shakti Pawn Brokars House no- 2-82/1] Suraram X Road Hyd- Road Ph:- 20001550
6. भंवरीदेवी पुत्री रामाराम पत्नी नेमाराम जाति सीरवी निवासी भैसाणा तहसील सोजत हाल निवासी 37—37, जगतगिरी गुटा कतबुलापुर, रंगारेडी—500037 आंध्रप्रदेश।
7. देवी पुत्री रामाराम पत्नी सुजाजी निवासी भैसाणा हाल निवासी नम्बर 36, सडक दुदौड धारेश्वर तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
8. ममता पुत्री रामाराम पत्नी छगनलाल जाति सीरवी निवासी भैसाणा हाल निवासी नम्बर 6 वार्ड संख्या 44 मसुदा रोड शिव कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।
9. कुकी देवी पुत्री रामाराम पत्नी घीसाराम जाति सीरवी निवासी भैसाणा हाल निवासी बरखो का बास धीनावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
10. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
11. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सोजत।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री धर्मीचंद देवासी, श्री मुकेश भाटी अधिवक्तागण अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : – 13/06/2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कनिष्क जिसकी वर्तमान में उम्र करीब 6 वर्ष है, जो कि नाबालिग है। अप्रार्थी सं0 02 पुनमचंद प्रार्थी कनिष्क का जायदा पिता है एवं अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी का दादा है। अप्रार्थी 1 व 2 प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र एवं वाद कुदरती वली माता कंचन द्वारा प्रार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया हैं। सरहद मौजा ग्राम भैसाणा तह0 सोजत में प्रार्थी की पैतृक, विरासतन कृषि भूमि खसरा नं0 458, 459, 460, 462, 466, 467 कुल खसरा 06 जिसका रकबा क्रमश 0.0100, 0.1200, 1.8400, 3.4400, 10.0100, 7.2600 हैक्टेयर तथा ख0नं0 468 रकबा 6.89 है0 आयी हुई स्थित है। प्रार्थी के परदादा रामाराम का निर्वशीयती स्वर्गवास दिनांक 18.11.2020 को हुआ व इनकी पत्नी जमनी देवी का स्वर्गवास दिनांक 13.07.2013 को हो चुका हैं। प्रार्थी का अपने परदादा रामाराम के जीवनकाल में जन्म होने से व प्रार्थी रामाराम का पडपौत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार प्रार्थी का वादस्थ कृषि भूमि में हक अधिकार निहित हो चुके हैं। प्रार्थी की माता कंचन का विवाह अप्रार्थी सं0 02 के साथ दिनांक 02.05.2015 को ग्राम सवराड़ में सम्पन्न हुआ। दिनांक 09.05.2016 को प्रार्थी कनिष्क का जन्म हुआ। अप्रार्थी सं0 02 व उनके परिवारजन द्वारा प्रार्थी के नाना एवं प्रार्थी के मामा पर सामाजिक स्तर पर नाजायज दबाव बनाकर 2020 में प्रार्थी की माता को परित्यग कर बेदखल कर दिया। साथ ही विश्वास भी दिलाया कि कनिष्क का जो भी पैतृक सम्पति में हिस्सा बनता हैं। वह हम फौतेदगी नामा0 दर्ज करवा कर कनिष्क के नाम खातेदारी कर देगें। वर्तमान में अप्रार्थीगण की नियत बद्ध हो गई है तथा वे पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि का हड़प करना चाहते हैं। अप्रार्थी सं0 1 व 6 से 9 द्वारा धोखाधाड़ी कर बाले–बाले स्व0 रामाराम के हक हिस्से की भूमि का दिनांक 16.12.2022 को हकतर्कनामा अप्रार्थी सं0 06 के पक्ष में करवा दिया गया। जो हकतर्कनामा प्रार्थी के हक अधिकारों के विरूद्ध होने से अवैध व शून्य हैं। अप्रार्थीगण द्वारा वादस्थ भूमि को ओर आगे से आगे बेचान करना चाहते हैं। दिनांक 10.01.2023 को प्रार्थी की माता, नाना व अन्य परिवारजन द्वारा अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा भूमाफियों को बेचान करने की धमकिया दी कि वादस्थ भूमि को मैं भू–माफियों को बेच दूंगा। अप्रार्थी सं0 01 व 06 उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रार्थी का जन्म से वादस्थ भूमि में हक हिस्सा निहित हो जाने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम भैसाणा तह0 सोजत में प्रार्थी की पैतृक, विरासतन कृषि भूमि खसरा नं0 458, 459, 460, 462, 466, 467 कुल खसरा 06 जिसका रकबा क्रमश 0.0100, 0.1200, 1.8400, 3.4400, 10.0100, 7.2600 है0 तथा ख0 नं0 468 रकबा 6.89 है0 की कृषि भूमि का बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण अप्रार्थीगण सं0 1 से 9 नहीं करें, न ही वादस्थ भूमि के भौतिक स्वरूप में फेरबदल करें। अप्रार्थी सं0 01 से 09 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिनी कंचन किसी भी रूप में अप्रार्थी सं0 02 की पत्नी नहीं हैं। प्रार्थिनी कंचन व अप्रार्थी सं0 02 के मध्य किसी प्रकार के पति–पत्नी के रिश्ते नहीं हैं। प्रार्थिनी कंचन ने बिना किसी कारण अप्रार्थी सं0 02 को छोडकर अन्य व्यक्ति कन्हैयालाल से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

कनिष्ठ की उम्र पांच वर्ष से ज्यादा होने से विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थिनी कंचन संरक्षक, अभिभावक नही होने से वादमित्र नहीं बन सकती। आज से चार वर्ष पूर्व कंचन द्वारा कन्हैयालाल से विवाह कर दिया है। इन दोनो के सहवास एवं सहवास से एक पुत्र हुआ है। कंचन मात्र कृषि भूमि को हडपने की नियत से झूठा वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थिनी द्वारा वंशावली को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है व कितने हिस्से की मांग की है, यह स्पष्ट नही हैं। प्रार्थिनी सम्पूर्ण हक–हिस्से को त्याग कर कनिष्क को साथ लेकर चली गई। प्रार्थिनी कंचन व पौत्र कनिष्क किसी प्रकार से अप्रार्थी स0 01 के जीवनकाल में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी दहेज व पैसो की मांग नही की गई थी एव उधार पैसे देने की बात सम्पूर्ण झूठी है। कनिष्क की प्रथम श्रेणी में पिता ही संरक्षक एवं अभिभावक हैं, क्योकि माता कंचन ने अन्य विवाह कर लिया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की धमकियां नही दी गई है। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का वादस्थ कृषि भूमि में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत जन्म से ही अधिकार निहित हो चुके हैं। यदि अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के आधार पर वादस्थ भूमि का बेचान व अन्य हस्तान्तरण कर दिया जाता है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वाद बहुलियता बढेगी इसलिए वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि कंचन देवी जिसका अन्य स्थान पर विवाह हो चुका है, व मात्र वादस्थ भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थी कनिष्क के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वस्तुतः प्रार्थना मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं, यद्यपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में गुणावगुण पर तय किया जायेगा तथापि वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद ताकमील जाब्जा दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली